977

[2022] 19 एस. सी. आर 977

बी. बी. आर. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम.

क.

एस. पी. सिंगला निर्माण निजी सीमा (2022 की सिविल अपील संख्या 4130-4131)

18 मई, 2022

**[**अजय रस्तोगी और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:धारा 20-मध्यस्थता का स्थान-क्या एक नए स्थान पर मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन, एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति के कारण, मध्यस्थता के अधिकार क्षेत्र को स्थानांतरित कर देगा-मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन का स्थान पंचकूला से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था मध्यस्थता के परिवर्तन के कारण-अपीलार्थी ने तर्क दिया कि मूल कार्यवाही दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसके कारण यह 'मध्यस्थता का स्थान' होगा-आयोजितःउप-धारा (1) से एस।20 उन पक्षों के समझौते को प्रधानता देता है जिनके द्वारा वे 'मध्यस्थता का स्थान' निर्धारित करने और निर्दिष्ट करने के हकदार हैं, जो तब, कानून के संचालन द्वारा, क्षेत्राधिकार न्यायालय का निर्धारण करता है जो उक्त मामले में, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा-उप-धारा (2) केवल तभी तस्वीर में आती है जब पक्ष मध्यस्थता के स्थान पर 'स्थान' के रूप में सहमत नहीं होते हैं-धाराओं की उप-धारा (2) के संदर्भ में।20 मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करता है-मध्यस्थता न्यायाधिकरण, ऐसा करते समय, पक्षकारों की सुविधा सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख सकता है-धारा की उप-धारा (3)।20 अधिनियम मध्यस्थता न्यायाधिकरण को सक्षम बनाता है, जब तक कि पक्षकार इसके विपरीत सहमत न हों, मामलों में सुनवाई करने के लिए किसी भी स्थान पर बैठक करने के लिए, जैसे कि अपने सदस्यों के बीच परामर्श, गवाहों, विशेषज्ञों या सुनवाई करने वाले पक्षों की रिकॉर्डिंग के लिए, दस्तावेजों, वस्तुओं या संपत्ति का निरीक्षण-'सीट' जो एक बार मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा एस के तहत तय की जाती है।20(2), स्थिर और स्थिर रहना चाहिए-स्थान स्थिर और स्थिर नहीं है और उप-धारा (3) से एस के संदर्भ में स्थानांतरित और परिवर्तित हो सकता है।20 अधिनियम-स्थल परिवर्तन के परिणामस्वरूप 'मध्यस्थता की सीट' में परिवर्तन या स्थानांतरण नहीं होता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:धारा 42-अधिकारिता-अपीलार्थी ने धारा 42 पर भरोसा किया।42 यह तर्क देने के लिए कि मध्यस्थता का केंद्र दिल्ली में है-आयोजितःधारा 42 का कोई लाभ नहीं है क्योंकि यह मामले में मदद नहीं करता है।

एच.

977 ए.



अपीलार्थी द्वारा प्रस्तावित, जैसा कि वर्तमान मामले में मध्यस्थ ने एस के तहत अधिकारिता 'सीट' तय की थी।20(2) अधिनियम के किसी भी पक्ष द्वारा अधिनियम के तहत अदालत का रुख करने से पहले, एक अदालत होने के नाते जहां कार्रवाई का एक हिस्सा या पूरा कारण उत्पन्न हुआ था।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.1** 'धारा **20 (2)** के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा एक बार तय की गई सीट स्थिर और निश्चित होनी चाहिए**,** जबकि मध्यस्थता का 'स्थान' बदल सकता है और 'सीट' से नए स्थान पर जा सकता है।**[**पैरा **25] [993-**बी**-**सी**]**

**1.2** धारा **20** की उप**-**धारा **(3)** विशेष रूप से यह कहते हुए मध्यस्थता के स्थान और 'मध्यस्थता के स्थान' के बीच अंतर करती है कि सुविधा और अन्य कारणों से**,** मध्यस्थता की कार्यवाही 'मध्यस्थता के स्थान' से अलग स्थान पर आयोजित की जा सकती है**,** जिसे मध्यस्थता के स्थान के लिए संदर्भित किया जाता है।**[**पैरा **26] [993-**डी**-**ई**]**

ग

डी.

**1.3** मध्यस्थता कार्यवाहियों के लिए निर्धारित स्थान या स्थान**,** जब धारा **20** की उप**-**धारा **(2)** लागू होती है**,** अधिकारिता 'सीट' होगी और अधिकारिता 'सीट' पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालयों का अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।इस सिद्धांत में अपवाद होगा जो तब लागू होगा जब पारस्परिक सहमति से पक्ष इस बात पर सहमत होंगे कि अधिकार क्षेत्र 'सीट' को बदला जाना चाहिए**,** और ऐसी सहमति को व्यक्त किया जाना चाहिए और पार्टियों द्वारा स्पष्ट रूप से समझा और सहमति व्यक्त की जानी चाहिए।**[**पैरा **28] [994-**एफ**-**जी**]**

ई.

**1.4** अपीलार्थियों द्वारा धारा **34** के तहत आवेदन दायर किए जाने से पहले**,** मध्यस्थता का अधिकार क्षेत्र निर्धारित किया गया था और धारा **20** की उप**-**धारा **(2)** के तहत तय किया गया था और इस प्रकार**,** हरियाणा में पंचकूला पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालयों के पास विशेष अधिकार क्षेत्र है।दिल्ली की अदालतों को अधिकार क्षेत्र नहीं मिलेगा क्योंकि मध्यस्थता का अधिकार क्षेत्र पंचकुला है न कि दिल्ली।**[**पैरा **32] [997-**सी**]**

च

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम संबद्ध ठेकेदार **(2015)**

जी.

1 एससीसी 32:[2014] 10 एस. सी. आर. 426; भारतीय एल्यूमीनियम

कंपनी बनाम कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक. (2012) 9 एससीसी 552 बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी बनाम एनएचपीसी लिमिटेड

**(2020) 4** एससीसी **224:[2019] 17** एस**.** सी**.** आर**. 742-**पर निर्भर।

एच.

979

बी. बी. आर. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ए

क.

इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम डेटाविंड इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। **(2017) 7** एससीसी **678:[2017] 4** एस**.** सी**.** आर**. 744;** ब्राह्मणी रिवर पेलेट्स लिमिटेड बनाम कामची इंडस्ट्रीज लिमिटेड **(2020) 5** एस**.** सी**.** सी**. 462:[2019] 9** एस**.** सी**.** आर**. 1140;** भारत संघ बनाम हार्डी अन्वेषण और

प्रोडक्शन **(**इंडिया**)** इंक**. (2019) 13** एससीसी **472:[2018] 13**

एससीआर **379;** शाशोआ बनाम शर्मा **(2009)** ईडब्ल्यूएचसी **957**

(कॉम.):[2017] 7 एस. सी. आर. 442; आईनॉक्स रिन्यूएबल्स लिमिटेड बनामजायेश इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 2036:

[2021] 7 स्केल 736 और एंट्रिक्स कॉर्प।लिमिटेड वी.देवताओं

मल्टीमीडिया (पी) लिमिटेड 2007 ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 1282 (सी. ए.)-संदर्भित।

ग

निर्णीत विधि संदर्भ

**[2014] 10** एससीआर **426**

पर भरोसा किया

पैरा **12**

**(2017) 7** एस**.** सी**.** सी**. 678**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

डी.

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

**[2019] 9** एससीआर **1140**

**(2012) 9** एस**.** सी**.** सी**. 552**

पर भरोसा किया

पैरा **15 [2018] 13** एस**.** सी**.** आर**. 379** पैरा **22 [2019] 17** एस**.** सी**.** आर**. 742** पर निर्भर था

पैरा **17**

ई.

**[2017] 7** एससीआर **442**

संदर्भित किया गया है

पैरा **32**

**[2021] 7** स्केल **736**

संदर्भित किया गया है

पैरा **24**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील सं. 4130-4131।

च

2017 के एफ. ए. ओ. No.317 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 14.10.2019 के निर्णय और आदेश और 2019 के आर. ए.-सी. आर. सं. 173 में दिनांकित 08.11.2019 के आदेश से।

जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता, तुषार भूषण, अमर्त्य भूषण, केतन पॉल, अश्विन कुमार नायर, युगांधरा पवार झा, कुणाल वर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

जी.

रितिन राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनिरुद्ध वाधवा, शिवम सिंह, सुश्री रितिका सिन्हा, सुश्री ताहिरा कठपालिया, भार्गव थाली, सुश्री अनुष्का पांडे, जयदीप खन्ना, हमजा तारिक, गोपाल सिंह, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

एच.



न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना**,** जे।

अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपीलों में जो छोटा और दिलचस्प मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या नए मध्यस्थ की नियुक्ति के कारण दिल्ली में मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन करने से हरियाणा के पंचकूला से 'मध्यस्थता का अधिकार क्षेत्र' स्थानांतरित हो जाएगा, जो मध्यस्थता कार्यवाही के लिए पहले मध्यस्थ द्वारा निर्धारित स्थान है?

3. इससे पहले कि हम वैधानिक प्रावधानों और मामले के कानून के पूर्ववर्ती का उल्लेख करें, उपरोक्त प्रश्न का निर्णय करने के लिए प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में बताना आवश्यक है।अपीलार्थी-बी. बी. आर. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और प्रत्यर्थी-एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने 30 जून 2011 को एक अनुबंध किया था, जिसके तहत अपीलार्थी को जम्मू और कश्मीर के बसौली में प्रत्यर्थी द्वारा रावी नदी पर बनाए जा रहे 592 मीटर लंबे केबल स्टे ब्रिज के लिए केबल स्ट्रे की आपूर्ति, स्थापना और जोर देने की आवश्यकता थी।अनुबंध के तहत 30 जून 2011 को जारी आशय पत्र में एकमात्र मध्यस्थ द्वारा विवादों के समाधान के लिए एक मध्यस्थता खंड था, जो इस प्रकार हैः

ग

डी.

" विवाद समाधान और मध्यस्थता

इसके अलावा जहां ठेकेदार का निर्णय अंतिम है और किसी भी मामले से संबंधित ठेकेदार और उप-ठेकेदार के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के अंतर को उप-अनुबंध पर बाध्यकारी है।सबसे पहले एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ के मध्यस्थता द्वारा हल करने का प्रयास किया जाएगा।

ई.

च

यह आशय पत्र आपको दो मूल रूपों में जारी किया जा रहा है-आपसे अनुरोध है कि आपकी स्वीकृति के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षरित एक मूल शुल्क वापस करें, जो आपके और हमारे बीच औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर होने तक काम के लिए एक वैध समझौता होगा।"4. मध्यस्थता खंड मौन है और मध्यस्थता के स्थान या स्थान को निर्धारित नहीं करता है।अनुबंध और

आशय पत्र को हरियाणा के पंचकुला में निष्पादित किया गया था।प्रतिवादी का निगमित कार्यालय भी पंचकूला में स्थित है। हालाँकि, अपीलार्थी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है।

जी.

1 श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) टी. एस. दोआबिया 2 श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एन. सी. जैन ए

एच.

981

बी. बी. आर. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस. पी. सिंगला

निर्माण निजी लिमिटेड [संजीव खन्ना, जे.] ए.

5. जैसे ही पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए, मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया, और श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त)। एन. सी. जैन को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया था।5 अगस्त 2014 को आयोजित पहली बैठक में मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया कि कार्यवाही का स्थान एच. एन. 292, सेक्टर-6, पंचकुला, हरियाणा।प्रतिवादी कार्यवाही में उपस्थित नहीं था और उसने स्थगन के लिए एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था।किसी भी पक्ष ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मध्यस्थता कार्यवाही के स्थान पर आपत्ति नहीं जताई थी।इसके बाद एच. एन. में मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित की गई। 52, सेक्टर-8 ए, चंडीगढ़, 16 दिसंबर 2014 को, जहां पक्षों को दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया गया था, और मामले को 22 फरवरी 2015 को मुद्दों को तैयार करने के लिए स्थगित कर दिया गया था। 29 मई 2015 को आयोजित कार्यवाही में, श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एन. सी. जैन ने रिकॉर्डिंग को अस्वीकार कर दिया कि वह व्यक्तिगत कारणों से मध्यस्थ के रूप में जारी नहीं रहना चाहते थे।अब तक प्राप्त अभिलेख नए मध्यस्थ को सौंप दिए जाएंगे।तब तक दलीलें पूरी हो चुकी थीं।

ग

6. इसके बाद, श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) टी. एस. दोआबिया ने एकमात्र मध्यस्थ के रूप में पदभार संभाला और 30 जून 2015 के पहले प्रक्रियात्मक आदेश में इस संबंध में अपनी सहमति दर्ज की।आदेश में कहा गया है कि कार्यवाही का स्थान दिल्ली होगा।जाहिरा तौर पर, अपीलार्थी उपस्थित नहीं था और तदनुसार, प्रतिवादी को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपीलार्थी को सूचित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।

डी.

ई.

7. 18 जुलाई 2015 के अगले आदेश में उल्लेख किया गया है कि पक्षों ने श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के समक्ष प्रतिवाद के साथ दावा याचिका और बचाव का बयान दायर किया था। एन. सी. जैनपिछले मध्यस्थ के समक्ष भी प्रत्युत्तर दायर किया गया था। पक्षकारों को शपथ पत्र के माध्यम से अपना साक्ष्य दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, जिसके लिए समय सीमा तय की गई थी।पूर्ववर्ती मध्यस्थ से अभिलेख प्रत्यर्थी द्वारा एकत्र किए जाने और नए मध्यस्थ के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता थी।

च

8. इसके बाद, सुनवाई की गई, गवाहों से जिरह की गई और दिल्ली में पक्षों द्वारा दलीलों को संबोधित किया गया।22 जनवरी 2016 के आदेश में कहा गया है कि पुरस्कार की घोषणा 29 जनवरी 2016 को नई दिल्ली के पते पर की जाएगी और पक्षों को अपने प्रतिनिधि भेजने चाहिए, ऐसा न करने पर पुरस्कार ईमेल द्वारा भेजा जाएगा और उसके बाद डाक के माध्यम से एक हस्ताक्षरित प्रति भेजी जाएगी।

जी.

9. पुरस्कार पर 29 जनवरी 2016 को दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए और घोषित किया गया, जिसके तहत प्रतिवादी को प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 577/- रुपये की राशि प्रदान की गई।

एच.

982

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

10. इसके बाद, दो कार्यवाही शुरू की गईं।प्रतिवादी ने 7 मई 2016 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पंचकूला के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 4 की धारा 9 3 के तहत अंतरिम आदेशों के लिए आवेदन दायर किया।अपीलार्थी ने 28 अप्रैल 2016 को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 34 5 के तहत एक याचिका दायर की।इस प्रकार,

3 9.न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय, आदि।—

(1) एक पक्ष, मध्यस्थता कार्यवाही से पहले या उसके दौरान या मध्यस्थता पुरस्कार देने के बाद किसी भी समय, लेकिन धारा 36 के अनुसार इसे लागू करने से पहले, अदालत में आवेदन कर सकता है -

(i) मध्यस्थता कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के लिए अभिभावक की नियुक्ति के लिए; या

((ii) निम्नलिखित मामलों में से किसी के संबंध में संरक्षण के अंतरिम उपाय के लिए, अर्थात्:—

ग

(क) किसी भी माल का संरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या बिक्री जो मध्यस्थता समझौते का विषय है;

(ख) मध्यस्थता में विवाद की राशि को सुरक्षित करना;

(ग) किसी ऐसी संपत्ति या वस्तु का निरोध, संरक्षण या निरीक्षण जो मध्यस्थता में विवाद का विषय है, या जिसके बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी के लिए किसी व्यक्ति को किसी पक्ष के कब्जे में किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करना, या कोई नमूना लेने के लिए या कोई अवलोकन करने के लिए, या परीक्षण करने के लिए प्रयोग करने के लिए अधिकृत करना, जो पूरी जानकारी या साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन हो सकता है;

डी.

(घ) अंतरिम निषेधाज्ञा या प्राप्तकर्ता की नियुक्ति;

(ङ) संरक्षण का ऐसा अन्य अंतरिम उपाय जो न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधाजनक लगे और न्यायालय के पास आदेश देने की वही शक्ति होगी जो उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही के उद्देश्य और उसके संबंध में है।

ई.

(2) जहां माध्यस्थम कार्यवाहियों के प्रारंभ से पहले, कोई न्यायालय उप-धारा (1) के तहत संरक्षण के किसी भी अंतरिम उपाय के लिए आदेश पारित करता है, वहां माध्यस्थम कार्यवाहियां ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर या ऐसे आगे के समय के भीतर शुरू की जाएंगी जो न्यायालय निर्धारित करे।

(3) एक बार मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद, न्यायालय उप-धारा (1) के तहत किसी आवेदन पर विचार नहीं करेगा, जब तक कि न्यायालय यह न पाए कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो धारा 17 के तहत प्रदान किए गए उपचार को प्रभावी नहीं बना सकती हैं।

च

4 संक्षेप में, "द एक्ट"।

5 34.मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन।—

( 1) माध्यस्थम् अधिनिर्णय के विरुद्ध न्यायालय का सहारा केवल उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार ऐसे अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन द्वारा लिया जा सकता है।(2) एक मध्यस्थता पुरस्कार को न्यायालय द्वारा केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब -

(क) आवेदन करने वाला पक्ष इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि-(i) कोई पक्ष किसी असमर्थता में था, या

जी.

((ii) मध्यस्थता समझौता उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके अधीन पक्षों ने इसे किया है या उस पर कोई संकेत देने में विफल रहने पर, उस समय लागू कानून के तहत; या (iii) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा वह अपना मामला पेश करने में असमर्थ था; या

((iv) मध्यस्थता पुरस्कार किसी ऐसे विवाद से संबंधित है जिस पर विचार नहीं किया गया है या जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं आता है, या इसमें ए मामलों पर निर्णय शामिल हैं।

एच.

983

बी. बी. आर. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस. पी. सिंगला

निर्माण निजी लिमिटेड [संजीव खन्ना, जे.] ए.

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने दो अलग-अलग न्यायालयों की अधिकारिता का आह्वान किया।परिणामस्वरूप, 'मध्यस्थता के अधिकार क्षेत्र' का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका उचित उत्तर दिया जाना चाहिए।

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से परेःबशर्ते कि, यदि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णयों को उन लोगों से अलग किया जा सकता है जो इस तरह से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो केवल मध्यस्थता पुरस्कार का वह हिस्सा जिसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों पर निर्णय शामिल हैं, को अलग किया जा सकता है; या

(v) मध्यस्थता न्यायाधिकरण या मध्यस्थता प्रक्रिया की संरचना पक्षकारों के समझौते के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा समझौता इस भाग के किसी ऐसे प्रावधान के साथ टकराव में न हो जिससे पक्षकार अवमूल्यन न कर सकें, या ऐसे समझौते में विफल रहना, इस भाग के अनुसार न हो; या

(ख) न्यायालय ने पाया कि -

ग

((i) विवाद का विषय उस समय लागू कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है, या

((ii) मध्यस्थता निर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है।

स्पष्टीकरण **1.—**किसी भी संदेह से बचने के लिए**,** यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है**,** केवल तभी जब **-**

(i) पुरस्कार का निर्माण धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन था; या

डी.

((ii) यह भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन है; या (iii) यह नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में है।

स्पष्टीकरण 2.—संदेह से बचने के लिए, यह परीक्षण कि क्या भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन हुआ है, विवाद के गुण-दोष पर समीक्षा नहीं करेगा।

(2 ए) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं के अलावा अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न होने वाले मध्यस्थता पुरस्कार को भी न्यायालय द्वारा दरकिनार किया जा सकता है, यदि न्यायालय को पता चलता है कि पुरस्कार के सामने आने वाली पेटेंट अवैधता से पुरस्कार दूषित हैःबशर्ते कि कोई पुरस्कार केवल कानून के गलत अनुप्रयोग के आधार पर या साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन द्वारा अलग नहीं किया जाएगा।

ई.

(3) अलग रखने के लिए आवेदन उस तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जा सकता है जिस दिन वह आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त हुआ था या, यदि धारा 33 के तहत अनुरोध किया गया था, उस तारीख से जिस दिन उस अनुरोध का निपटारा मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा किया गया थाःबशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट हो कि आवेदक को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं।

च

(4) उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायालय, जहां यह उचित हो और किसी पक्ष द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाए, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही को फिर से शुरू करने का अवसर देने के लिए अपने द्वारा निर्धारित समय की अवधि के लिए कार्यवाही को स्थगित कर सकता है या ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण की राय में मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के आधारों को समाप्त कर देगा।

जी.

(5) इस धारा के तहत एक आवेदन एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को पूर्व सूचना जारी करने के बाद ही दायर किया जाएगा और इस तरह के आवेदन के साथ आवेदक द्वारा उक्त आवश्यकता के अनुपालन का समर्थन करने वाला एक हलफनामा होगा।

(6) इस धारा के तहत एक आवेदन का शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटान किया जाएगा जिस दिन उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सूचना दूसरे पक्ष को दी जाती है।

एच.



11. प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम की धारा 9 के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पंचकूला के समक्ष दायर याचिका को 14 दिसंबर 2016 के आदेश के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था, जिसमें यह दर्ज किया गया था कि आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से दिल्ली उच्च न्यायालय में निहित है, जहां धारा 34 के तहत एक पूर्व याचिका दायर की गई थी, और लंबित थी।धारा 9 के तहत याचिका, एक बाद की याचिका होने के कारण, अधिनियम की धारा 42 के तहत वर्जित होगी।

12. हालाँकि, इस आदेश को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 14 अक्टूबर 2019 के आदेश के माध्यम से इस निष्कर्ष के साथ दरकिनार कर दिया गया है कि दिल्ली की अदालतों के पास अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्तियों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस आशय के लिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभिलिखित किया है कि

पक्षकारों के बीच समझौता मध्यस्थता कार्यवाही के 'स्थान' के बारे में मौन था, और दूसरे मध्यस्थ श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त)। टी. एस. दोआबिया ने 30 जून 2015 के अपने पहले आदेश में दिल्ली को 'मध्यस्थता का केंद्र' निर्धारित नहीं किया था।भरोसा करना।

ग

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर।

डी.

एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्टर्स, 6 उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पंचकूला की अदालतों को मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र था।अपीलार्थी द्वारा दायर समीक्षा आवेदन को 8 नवंबर 2019 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

13. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित इन आदेशों को इन अपीलों में अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष चुनौती दी गई है।9 जनवरी 2020 के आदेश द्वारा, वर्तमान अपीलों में नोटिस जारी किया गया था।14. अधिनियम की धारा 2 (1) (ई), जो 'न्यायालय' शब्द को परिभाषित करती है; 'मध्यस्थता के स्थान' पर धारा 20; साथ ही धारा 42 इस प्रकार हैः“2. परिभाषाएँ। —(1) इस भाग में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, -

ई.

च

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

(ङ) "न्यायालय" का अर्थ है-(i) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा किसी मध्यस्थता के मामले में, किसी जिले में मूल अधिकारिता वाला प्रमुख सिविल न्यायालय, और इसमें उच्च न्यायालय अपनी सामान्य मूल सिविल अधिकारिता का प्रयोग करते हुए शामिल है, जिसे मध्यस्थता के विषय-वस्तु बनाने वाले प्रश्नों पर निर्णय लेने की अधिकारिता है, यदि वे किसी वाद का विषय-वस्तु रहे हों, लेकिन इसमें ऐसे प्रमुख सिविल न्यायालय या छोटे कारणों के किसी न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय शामिल नहीं है।

जी.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एच.

6 (2015) 1 एससीसी 32 ए

985

बी. बी. आर. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस. पी. सिंगला

निर्माण निजी लिमिटेड [संजीव खन्ना, जे.] ए.

“20. (1) पक्ष मध्यस्थता के स्थान पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी समझौते में विफल रहने पर मध्यस्थता का स्थान पक्षकारों की सुविधा सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के होते हुए भी, मध्यस्थता न्यायाधिकरण, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, अपने सदस्यों के बीच परामर्श के लिए, गवाहों, विशेषज्ञों या पक्षों को सुनने के लिए, या दस्तावेजों, वस्तुओं या अन्य संपत्ति के निरीक्षण के लिए किसी भी स्थान पर बैठक कर सकता है।

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

ग

42. क्षेत्राधिकार।— इस भाग में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी, जहां इस भाग के अधीन मध्यस्थता समझौते के संबंध में कोई आवेदन किसी न्यायालय में किया गया है, केवल उस न्यायालय को ही मध्यस्थता कार्यवाहियों और उस समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी बाद के आवेदनों पर अधिकारिता होगी और मध्यस्थता कार्यवाहियां उस न्यायालय में और किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जाएंगी।"15. अधिनियम की धारा 2 के उपखंड (ई) से उप-धारा (1) में परिभाषित 'न्यायालय' शब्द की व्याख्या भारतीय के मामले में पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के समक्ष विचार के लिए आई थी।

डी.

ई.

एल्यूमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक, 7

जिस निर्णय ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के संदर्भ में 'अधिकार क्षेत्र' और 'स्थान' के बीच के अंतर की जांच की थी, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि 'मध्यस्थता का स्थान' अभिव्यक्ति मध्यस्थता में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है।हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी मध्यस्थता कार्यवाही 'सीट' पर होनी चाहिए।मध्यस्थ कभी-कभी अधिक सुविधाजनक स्थानों पर बैठकें आयोजित करते हैं।'न्यायालय' अभिव्यक्ति के संबंध में, यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 2 (2) भारत के बाहर स्थित मध्यस्थताओं पर भाग-I को लागू नहीं करती है।अधिनियम की धारा 2 (2) 8 में उपयोग की गई अभिव्यक्तियाँ

च

7 (2012) 9 एस. सी. सी. 552; बाल्को मामला, संक्षेप में।

8 नीचे अनुच्छेद 20 देखें।2016 के अधिनियम 3 द्वारा अधिनियम की धारा 2 (2) के प्रावधान को 23 अक्टूबर 2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव से जोड़ा गया है, और खंड (ए) के लिए 2019 के अधिनियम 33 द्वारा प्रतिस्थापित/संशोधित प्रावधान अब पढ़ता है -

जी.

“(2) यह भाग वहाँ लागू होगा जहाँ मध्यस्थता का स्थान भारत में हैः

बशर्ते कि इसके विपरीत एक समझौते के अधीन रहते हुए, धारा 9,27 और उप-धारा (1) के खंड (बी) और धारा 37 की उप-धारा (3) के प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर भी लागू होंगे, भले ही मध्यस्थता का स्थान भारत के बाहर हो, और ऐसे स्थान पर किया गया या किया जाने वाला मध्यस्थता पुरस्कार इस अधिनियम के भाग II के प्रावधानों के तहत प्रवर्तनीय और मान्यता प्राप्त है।

एच.

किसी व्याख्या को यह मानने की अनुमति न दें कि भाग-I भारत के क्षेत्र के बाहर आयोजित मध्यस्थताओं पर भी लागू होगा। उपरोक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी बनाम एनएचपीसी लिमिटेड 9 में कहा है कि अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ई) में उपयोग की गई 'मध्यस्थता के अधीन' अभिव्यक्ति को 'वाद की विषय वस्तु' के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है।उक्त प्रावधान में 'वाद की विषय वस्तु' शब्द भाग-1 तक ही सीमित है। खंड का उद्देश्य न्यायिक कार्यवाही पर पर्यवेक्षी नियंत्रण रखने वाले न्यायालयों की पहचान करना है।इसलिए, खंड एक ऐसे न्यायालय को संदर्भित करता है जो अनिवार्य रूप से मध्यस्थता प्रक्रिया के 'पीठ' का न्यायालय होगा। तदनुसार, धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ई) का अर्थ अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए, जो वास्तव में निर्धारक और प्रासंगिक हैं जब हम 'मध्यस्थता के स्थान' के प्रश्न का निर्णय लेते हैं।यह व्याख्या 'पार्टी स्वायत्तता' के सिद्धांत को मान्यता देती है, जो मध्यस्थता की इमारत है।दूसरे शब्दों में, धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ई) में परिभाषित 'न्यायालय' शब्द, जो 'मध्यस्थता की विषय वस्तु' को संदर्भित करता है, आवश्यक रूप से अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए न्यायालय की क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अंतिम निर्धारक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा कि प्रावधानों का कोई भी अन्य निर्माण अधिनियम की धारा 20 को निरर्थक बना देगा।न्यायालय के विचार में, विधायिका ने दो न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र दिया थाःन्यायालय जिसका अधिकार क्षेत्र होना चाहिए जहां कार्रवाई का कारण स्थित है; और न्यायालय जहां मध्यस्थता होती है।यह आवश्यक है क्योंकि कुछ अवसरों पर समझौता 'मध्यस्थता का स्थान' प्रदान कर सकता है जो दोनों पक्षों के लिए तटस्थ होगा।जिन न्यायालयों में मध्यस्थता होती है, उन्हें मध्यस्थता प्रक्रिया पर पर्यवेक्षी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी।'मध्यस्थता का स्थान' वह स्थान नहीं होना चाहिए जहां कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न हुआ हो, इस अर्थ में कि 'मध्यस्थता का स्थान उस स्थान से अलग हो सकता है जहां अनुबंध के तहत दायित्वों का पालन किया जाता है/किया जाना था।ऐसी परिस्थितियों में, दोनों न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए।, न्यायालय जिनकी अधिकारिता के भीतर 'वाद की विषय वस्तु' स्थित है और वे न्यायालय जिनकी अधिकारिता के भीतर विवाद समाधान मंच, यानी जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण स्थित है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

16. अधिनियम की धारा 20 की ओर मुड़ते हुए, उप-धारा (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पक्ष मध्यस्थता के स्थान पर सहमत हो सकते हैं।'मुक्त' शब्द का उपयोग स्वायत्तता और लचीलेपन पर जोर देने के लिए किया गया है

9 (2020) 4 एससीसी 224 ए

एच.

987

बी. बी. आर. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस. पी. सिंगला

निर्माण निजी लिमिटेड [संजीव खन्ना, जे.] ए.

पक्षकारों को मध्यस्थता के एक ऐसे स्थान पर सहमत होने का आनंद मिलता है जो अप्रतिबंधित है और उस स्थान तक सीमित होने की आवश्यकता नहीं है जहां 'वाद का विषय' स्थित है।धारा 20 की उप-धारा (1) उन पक्षों के समझौते को प्रधानता देती है जिनके द्वारा वे 'मध्यस्थता का स्थान' निर्धारित करने और निर्दिष्ट करने के हकदार हैं, जो तब, कानून के संचालन द्वारा,

क्षेत्राधिकार न्यायालय का निर्धारण करता है जो उक्त मामले में, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।उप-धारा (2) केवल तभी सामने आती है जब पक्षकार मध्यस्थता के स्थान को 'पीठ' के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं।10 धारा 20 की उप-धारा (2) के संदर्भ में मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करता है।मध्यस्थ न्यायाधिकरण, ऐसा करते समय, पक्षकारों की सुविधा सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख सकता है।अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (3) मध्यस्थता न्यायाधिकरण को, जब तक कि पक्षकार इसके विपरीत सहमत नहीं हो जाते हैं, गवाहों, विशेषज्ञों या सुनवाई करने वाले पक्षों की रिकॉर्डिंग, दस्तावेजों, वस्तुओं या संपत्ति के निरीक्षण के लिए अपने सदस्यों के बीच परामर्श जैसे मामलों में सुविधा के स्थान पर सुनवाई करने के लिए किसी भी स्थान पर बैठक करने में सक्षम बनाती है।

ग

17. बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा (उपरोक्त) में बाल्को (उपर्युक्त) में संवैधानिक पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 20 की उप-धारा (3) 'स्थान' को संदर्भित करती है जबकि उप-धारा (1) और उप-धारा (2) में उल्लिखित 'स्थान' 'क्षेत्राधिकार सीट' को संदर्भित करता है।अंतर को स्पष्ट करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से संबंधित एक मामले, बाल्को (उपरोक्त) में, कई निर्णयों का संदर्भ दिया गया था, हालांकि शाशोआ बनाम शर्मा 11 में निर्णय को व्यापक रूप से यह देखने के लिए उद्धृत किया गया था कि 'मध्यस्थता के स्थान' के बारे में एक समझौता उस देश के कानून में संक्षिप्त कानून के रूप में आता है और एक विशेष अधिकार क्षेत्र खंड के अनुरूप है।12 जो पक्ष 'सीट' के लिए सहमत हुए हैं, उन्हें केवल 'मध्यस्थता के स्थान' के रूप में नामित स्थान की अदालतों में एक अंतरिम या अंतिम निर्णय को चुनौती देनी चाहिए।दूसरे शब्दों में, 'मध्यस्थता के स्थान' का चुनाव निर्णय पर हमला करने की मांग करने वाले उपचारों के लिए एक मंच/अदालत का विकल्प होना चाहिए।18. अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से संबंधित उपरोक्त सिद्धांत घरेलू मध्यस्थताओं पर लागू किए गए हैं।इस संबंध में, हम बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा (ऊपर) के पैराग्राफ 38 का उल्लेख कर सकते हैं, जो नीचे दिया गया है:"38. बी ए. एल. सी. ओ. के पैरा 75,76,96,110,116,123 और 194 को पढ़ने से पता चलेगा कि दलों ने किस सीट का चयन किया है।

डी.

ई.

च

जी.

10 धारा 20 (2) तब भी लागू होती है जब समझौते में उल्लिखित 'सीट' केवल एक सुविधाजनक स्थान हो।

11 (2009) ई. डब्ल्यू. एच. सी. 957 (कम.)

एच.

12 सी. बनाम डी., 2007 ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 1282 (सी. ए.) में अपील न्यायालय का निर्णय।



अपने समझौते में मध्यस्थता के लिए, इस तरह का चयन तब एक विशेष अधिकार क्षेत्र खंड के बराबर होगा, क्योंकि पार्टियों ने अब संकेत दिया है कि "सीट" पर अदालतों के पास अकेले मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ चुनौतियों का समाधान करने का अधिकार क्षेत्र होगा जो सीट पर किए गए हैं।पैरा 96 में दिया गया उदाहरण इस प्रस्ताव को पुष्ट करता है, और ऊपर बताए गए पिछले और बाद के पैराग्राफ द्वारा समर्थित है।बी एएलसीओ निर्णय, जब समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो अंग्रेजी निर्णयों (और जो मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 में है) द्वारा निर्धारित "सीट" की अवधारणा को लागू करता है, धारा 2 (1) (ई)

के साथ धारा 20 का सामंजस्यपूर्ण अर्थ निकालकर, ताकि "न्यायालय" की परिभाषा को व्यापक बनाया जा सके और मध्यस्थता के "सीट" के अपने केन न्यायालयों के भीतर लाया जा सके।"

ग

19. बी. जी. एस. एस. सोमा (ऊपर) में न्यायालय ने इस विवाद की जांच करने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया कि क्या बी. ए. एल. सी. ओ. (ऊपर) के पैराग्राफ 96, जो अदालतों की समवर्ती अधिकारिता की बात करता है, यानी उन अदालतों की अधिकारिता जहां कार्रवाई का कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से उत्पन्न हुआ है, और उस अधिकार क्षेत्र के भीतर अदालतें जिसमें विवाद समाधान मंच-मध्यस्थता स्थित है, कानूनी स्थिति का निरीक्षण और स्पष्ट करने के लिएः

डी.

"40. बी ए. एल. सी. ओ. मामले का पैरा 96 कई भागों में है।सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, धारा 2 (1) (ई), जो मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत "न्यायालय" की परिभाषा है, का उल्लेख किया गया था, और इसका अर्थ मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जो मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान चुनने में पक्ष की स्वायत्तता को मान्यता देते हैं।दूसरा, न्यायालय ने उक्त पैराग्राफ में दो स्थानों पर कहा कि न्यायालयों के दो समूहों को अधिकार क्षेत्र दिया गया है, अर्थात् वे न्यायालय जिनके पास अधिकार क्षेत्र होगा जहां कार्रवाई का कारण स्थित है; और वे न्यायालय जहां मध्यस्थता होती है।हालाँकि, जब मध्यस्थता कार्यवाही के "स्थान" के रूप में एक तटस्थ स्थान प्रदान करने की बात आई, तो पाँच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए उदाहरण ने यह स्पष्ट कर दिया कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 17 के तहत पारित अंतरिम आदेशों के खिलाफ मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील केवल उस स्थान की अदालतों के लिए होगी-जो उस उदाहरण में दिल्ली है-जो मध्यस्थता कार्यवाही पर पर्यवेक्षी नियंत्रण या अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालतें हैं।उदाहरण में आगे कहा गया है कि यह इस तथ्य के बावजूद होगा कि अनुबंध के तहत किए जाने वाले दायित्व, जो कार्रवाई का कारण है, आंशिक रूप से मुंबई या कोलकाता में उत्पन्न हो सकते हैं।तथ्य यह है कि ए

ई.

च

जी.

एच.

989

बी. बी. आर. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस. पी. सिंगला

निर्माण निजी लिमिटेड [संजीव खन्ना, जे.] ए.

दिल्ली में होने वाली मध्यस्थता महत्वपूर्ण है।हालांकि, उक्त पैराग्राफ में अगला वाक्य दोनों अदालतों के समवर्ती अधिकार क्षेत्र को दोहराता है।

20. बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा (ऊपर) व्यापक रूप से निर्णय का उल्लेख करता है।

इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम डेटाविंड इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, 13 में इस न्यायालय का जो निर्णय संदर्भित करता है

अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) और धारा 20 का विधायी इतिहास और 246 वीं विधि आयोग रिपोर्ट, 2014 की सिफारिशें। यह देखा गया है कि इन सिफारिशों को बाल्को (उपर्युक्त) में निर्णय के अनुरूप लागू नहीं किया गया था, जो अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (2) के खंड (ई) के उद्देश्य के लिए 'स्थान' को 'अधिकार क्षेत्र' के रूप में संदर्भित करता है। यह फैसला बाद में आया था

ग

ब्राह्मणी रिवर पेलेट लिमिटेड बनाम कामची इंडस्ट्रीज

सीमित।14 हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ई) में उप-खंड (2) 15 को अंतःस्थापित करके संशोधन किया गया था, जिसका विशिष्ट उद्देश्य क्षेत्राधिकार के टकराव की समस्या को हल करना था, जो उन मामलों में उत्पन्न होगा जहां भारत में भारत से बाहर स्थित मध्यस्थता के मामलों में अंतरिम उपाय मांगे जाते हैं।घरेलू मध्यस्थताओं के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि एक बार 'मध्यस्थता का स्थान' निर्धारित हो जाने के बाद, अकेले उक्त स्थान पर अदालतों के पास मध्यस्थता पर पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।अन्य स्थानों पर अदालतों का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसमें वे अदालतें भी शामिल हैं जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है।जैसा कि ऊपर देखा गया है और बी. जी. एस. एस. एस. सोमा (ऊपर) और इंडस मोबाइल (ऊपर) में कहा गया है, 16 जिस क्षण पक्ष समझौते द्वारा 'सीट' को नामित करते हैं, यह एक विशेष अधिकार क्षेत्र खंड के समान हो जाता है।इसके बाद यह अदालतों को पक्षों के बीच समझौते से उत्पन्न मध्यस्थता कार्यवाही को विनियमित करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र के साथ 'सीट' पर निहित करेगा।

डी.

ई.

च

13 (2017) 7 एस. सी. सी. 678

14 (2020) 5 एस. सी. सी. 462

15 ((ii) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में, उच्च न्यायालय को अपने सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, मध्यस्थता के विषय-वस्तु को बनाने वाले प्रश्नों पर निर्णय लेने की अधिकारिता है, यदि वे किसी मुकदमे का विषय-वस्तु रहे हैं, और अन्य मामलों में, उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के फरमानों से अपील सुनने की अधिकारिता रखने वाला उच्च न्यायालय;

जी.

16 इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन (पी) लिमिटेड में, न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 के अर्थ को स्पष्ट करने के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि जिस क्षण पक्षों के बीच समझौते द्वारा एक सीट नामित की जाती है, यह एक विशेष अधिकार क्षेत्र खंड के समान है, जो तब पक्षों के बीच समझौते से उत्पन्न मध्यस्थता कार्यवाही को विनियमित करने के उद्देश्यों के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र के साथ "सीट" पर अदालतों को निहित करेगा।

एच.



21. बी. जी. एस. एस. सोमा (ऊपर) में न्यायालय ने उस स्थिति पर भी विचार किया है जहां पक्षकार 'मध्यस्थता का स्थान' पर सहमत नहीं हुए हैं या निर्धारित नहीं हुए हैं, और 'मध्यस्थता का स्थान' निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित परीक्षण निर्धारित किया है जो पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय के स्थान का निर्धारण करेगा।परीक्षण सरल है और पढ़ता हैः

“61. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि जहां कहीं भी "स्थान" का एक स्पष्ट पदनाम है, और मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक अतिराष्ट्रीय निकाय के साथ संयुक्त रूप से "सीट" के रूप में किसी भी वैकल्पिक स्थान का कोई पदनाम नहीं है,

और कोई अन्य महत्वपूर्ण विपरीत संकेत नहीं है, तो अक्षम्य निष्कर्ष यह है कि कथित स्थान वास्तव में मध्यस्थता कार्यवाही का न्यायिक स्थान है।"

ग

परीक्षण तैयार करने के लिए कई भारतीय और विदेशी निर्णयों को इस बात पर जोर देने के लिए संदर्भित किया गया था कि जहां पक्ष 'अधिकार क्षेत्र' 17 का चयन करने में विफल रहे हैं, जो मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करेगा, कार्यवाही को किसी भी दर पर प्रथम दृष्टया शासित माना जाना चाहिए और उस अदालत के अधिकार क्षेत्र के अधीन होना चाहिए जहां मध्यस्थता आयोजित की जा रही है, इस आधार पर कि उक्त अदालत के कार्यवाही से जुड़े होने की सबसे अधिक संभावना है।18 तदनुसार, बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा (ऊपर) में, लागू कानून, जहां पक्षों ने समझौते द्वारा अधिकार क्षेत्र 'सीट' तय नहीं की है, को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया हैः

डी.

ई.

“82. उपरोक्त निर्णयों के संबंध में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब भी किसी मध्यस्थता खंड में मध्यस्थता के स्थान को मध्यस्थता कार्यवाही का "स्थान" के रूप में नामित किया जाता है, तो "मध्यस्थता कार्यवाही" अभिव्यक्ति यह स्पष्ट कर देगी कि "स्थान" वास्तव में मध्यस्थता कार्यवाही का "स्थान" है, क्योंकि उपरोक्त अभिव्यक्ति में केवल एक या अधिक व्यक्तिगत या विशेष सुनवाई शामिल नहीं है, बल्कि उस स्थान पर एक निर्णय देने सहित समग्र रूप से मध्यस्थता कार्यवाही शामिल है।इस भाषा की तुलना ऐसी भाषा से की जानी चाहिए जैसे कि "न्यायाधिकरणों को मिलने या गवाहों, विशेषज्ञों या पक्षों को रखने के लिए" जहां केवल सुनवाई "स्थान" में होनी है, जो इस निष्कर्ष पर ले जा सकती है कि अन्य चीजें समान हैं, कि स्थान ऐसा है।

च

जी.

17 बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा (उपरोक्त) मामला उस मामले की जांच और व्याख्या भी करता है जिसमें अदालतों ने माना है कि समझौते में उल्लिखित तथाकथित 'सीट' सुविधाजनक 'स्थान' है, एक ऐसा पहलू जिससे हम वर्तमान मामले में संबंधित नहीं हैं।

18 डाइस और मौरिस द्वारा कानूनों के टकराव, 11 वें संस्करण पर निकाले गए सिद्धांत को देखें।

एच.

991

बी. बी. आर. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस. पी. सिंगला

निर्माण निजी लिमिटेड [संजीव खन्ना, जे.] ए.

क.

कहा गया मध्यस्थता कार्यवाही का "स्थान" नहीं है, बल्कि केवल बैठक का एक सुविधाजनक स्थान है।इसके अलावा, यह तथ्य कि मध्यस्थता की कार्यवाही किसी विशेष स्थान पर "आयोजित की जाएगी" यह भी इंगित करेगा कि पक्षकार किसी विशेष स्थान पर मध्यस्थता की कार्यवाही करने का इरादा रखते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह स्थान मध्यस्थता की कार्यवाही का केंद्र है।इसके साथ-साथ कोई अन्य महत्वपूर्ण विपरीत संकेत नहीं है कि कहा गया स्थान केवल एक "स्थान" है और मध्यस्थता कार्यवाही का "स्थान" नहीं है, तब निर्णायक रूप से पता चलेगा कि ऐसा खंड मध्यस्थता कार्यवाही के "स्थान" को निर्दिष्ट करता है।एक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में, यदि नियमों का एक अतिराष्ट्रीय निकाय मध्यस्थता को नियंत्रित करना है, तो यह आगे एक संकेत होगा कि "स्थल", इस प्रकार कहा गया है, मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान होगा।राष्ट्रीय संदर्भ में, इसे मध्यस्थता अधिनियम, 1996 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जो "निर्दिष्ट स्थान" पर लागू होता है, जो तब मध्यस्थता के उद्देश्यों के लिए "सीट" बन जाता है।"

ग

22. बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा (ऊपर) भी इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करता है।

भारत संघ बनाम हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक., 19

डी.

जिसने यह अभिनिर्धारित किया था कि मध्यस्थता के स्थान के चयन का अर्थ यह नहीं है कि यह 'मध्यस्थता का स्थान' बन गया है और यह कि स्थान अपने आप में 'सीट' का दर्जा ग्रहण नहीं कर सकता है; इसके बजाय एक स्थान बन सकता है

'सीट 'केवल तभी' जब इसमें एक सहवर्ती के रूप में कुछ और जोड़ा जाए।

बी. जी. एस. एस. एस. सोमा (ऊपर) के अनुसार, हार्डी एक्सप्लोरेशन (ऊपर) में दिया गया तर्क इनक्यूरियम के अनुसार है क्योंकि यह अनुपात और कानून के विपरीत है।

ई.

बाल्को (ऊपर) में निर्धारित।इसलिए, बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा (ऊपर) धारण करता है।

कि यह अभिनिर्धारित करना सही होगा कि अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते समय, एक मध्यस्थ को एक विस्तृत या सुविचारित निर्णय पारित नहीं करना है।वह स्थान जहाँ मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करता है, डिफ़ॉल्ट रूप से, मध्यस्थता का स्थान होगा और परिणामस्वरूप 'मध्यस्थता का स्थान' होगा।

च

23. जब हम वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर मुड़ते हैं, यदि मध्यस्थता की कार्यवाही पूरे पंचकूला में आयोजित की जाती, तो यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होती कि दिल्ली अधिकार क्षेत्र 'सीट' नहीं है।लेकिन ऐसा नहीं होना था, जैसा कि श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के अलग होने पर हुआ था। एन. सी. जैन और श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति के बाद T.S.Doabia मध्यस्थता कार्यवाही

जी.

19 (2019) 13 एस. सी. सी. 472-इस मामले में पक्षों ने मध्यस्थता का स्थान नहीं चुना था और मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने भी मध्यस्थता का स्थान निर्धारित नहीं किया था।इसलिए यह माना गया कि कुआलालंपुर को मध्यस्थता स्थल के रूप में चुनने का मतलब यह नहीं था कि कुआलालंपुर मध्यस्थता का केंद्र बन गया था।

एच.

992

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

दिल्ली में आयोजित किया गया।वर्तमान मामले के संदर्भ में और 5 अगस्त 2014 को मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा पारित पहले आदेश को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया गया था कि कार्यवाही का स्थान हरियाणा में पंचकूला होगा और अधिनियम की धारा 20 (2) के आवेदन पर अन्य महत्वपूर्ण संकेतों के अभाव में, हरियाणा का पंचकूला शहर मध्यस्थता का अधिकार क्षेत्र होगा।चूंकि 5 अगस्त, 2014 के आदेश के अनुसार 'सीट' तय की गई थी, इसलिए दिल्ली की अदालतों के पास अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

24. हालाँकि, अपीलार्थी का तर्क है कि नए मध्यस्थ की नियुक्ति पर, अर्थात् श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त)। टी. एस. दोआबिया, और उसके बाद दिल्ली में स्थान निर्धारित किया जा रहा था, क्षेत्राधिकार 'मध्यस्थता का स्थान' हरियाणा के पंचकुला से दिल्ली में बदल गया था।इस संबंध में रिलायंस को आईनॉक्स रिन्यूएबल्स लिमिटेड बनाम जायेश इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 20 में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है, जिसमें पक्षों द्वारा निर्धारित 'मध्यस्थता का स्थान' जयपुर था, लेकिन अहमदाबाद की अदालतों ने पुरस्कार को चुनौती दी थी।अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि अहमदाबाद की अदालतों ने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था, जिसे इस आधार पर बरकरार रखा गया था कि मध्यस्थता की कार्यवाही अहमदाबाद में आयोजित की गई थी।इस प्रकार 'मध्यस्थता का स्थान' बदल गया और जयपुर से अहमदाबाद स्थानांतरित हो गया।यह, आईनॉक्स रिन्यूएबल्स लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय के संदर्भ में, निस्संदेह सही है, लेकिन उपरोक्त निर्णय को अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा शासित मामलों में एक नियम के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। आईनॉक्स रिन्यूएबल्स (उपरोक्त) अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) के तहत शासित एक मामला था, जहां समझौते द्वारा पक्षों ने जयपुर, राजस्थान में अधिकार क्षेत्र निर्धारित किया था, लेकिन उसके बाद, आपसी सहमति से, मध्यस्थता शुरू होने से पहले कार्यवाही के स्थान को अहमदाबाद में बदलने का फैसला किया था।इसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि क्षेत्राधिकार 'मध्यस्थता का केंद्र' अहमदाबाद था।यह निर्णय उस स्थिति में लागू होगा जब पक्ष, सहमति से, पारस्परिक रूप से सहमत होते हैं कि 'मध्यस्थता का स्थान' किसी विशेष स्थान पर स्थित होगा।उक्त अभ्यास अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) के संदर्भ में होगा, जो पक्ष की स्वायत्तता और 'मध्यस्थता का स्थान' निर्धारित करने वाले विकल्प का समर्थन और जोर देता है।यह तब लागू नहीं होगा जब मध्यस्थ अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के संदर्भ में 'सीट' तय करता है। एक बार जब मध्यस्थ अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के संदर्भ में 'सीट' तय कर देता है, तो मध्यस्थ मध्यस्थता की 'सीट' को नहीं बदल सकता है, सिवाय इसके कि जब और यदि पक्ष पारस्परिक रूप से सहमत हों और कहें कि 'मध्यस्थता की सीट' को दूसरे स्थान पर बदल दिया जाना चाहिए, जो वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

20 (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 2036 ए

993

बी. बी. आर. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस. पी. सिंगला

निर्माण निजी लिमिटेड [संजीव खन्ना, जे.] ए.

25. इसके अच्छे कारण हैं कि हम महसूस करते हैं कि मध्यस्थ द्वारा 'मध्यस्थता के स्थान' के रूप में निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर बाद की सुनवाई या कार्यवाही को अधिकार क्षेत्र 'सीट' के परिवर्तन या स्थानांतरण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और माना जाना चाहिए।यह, हमारी राय में, अनिश्चितता और भ्रम पैदा करेगा जिसके परिणामस्वरूप अधिकार क्षेत्र 'मध्यस्थता के स्थान' के रूप में टालने योग्य गूढ़ और हर्मेटिक मुकदमेबाजी होगी।'धारा 20 (2) के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा एक बार तय की गई सीट स्थिर और निश्चित होनी चाहिए, जबकि मध्यस्थता का 'स्थान' बदल सकता है और 'सीट' से नए स्थान पर जा सकता है।स्थान स्थिर और स्थिर नहीं है और अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (3) के संदर्भ में स्थानांतरित और परिवर्तित हो सकता है। स्थल परिवर्तन के परिणामस्वरूप 'मध्यस्थता की सीट' में परिवर्तन या स्थानांतरण नहीं होता है।

ग

26. वाणिज्यिक मामलों में, वास्तव में सभी मामलों में, यह अत्यधिक वांछनीय है कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के बारे में निश्चितता होनी चाहिए।हमें नहीं लगता कि मध्यस्थता का कानून 'मध्यस्थता के स्थान' को बार-बार या लगातार स्थानांतरित करने की कल्पना करता है।वास्तव में, धारा 20 की उप-धारा (3) विशेष रूप से यह कहते हुए मध्यस्थता के स्थान और 'मध्यस्थता के स्थान' के बीच अंतर करती है कि सुविधा और अन्य कारणों से, मध्यस्थता की कार्यवाही 'मध्यस्थता के स्थान' से अलग स्थान पर आयोजित की जा सकती है, जिसे मध्यस्थता के स्थान के लिए संदर्भित किया जाता है।यदि हम अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार करते हैं, तो हम, जैसा कि सी. वी. डी. (उपरोक्त) के मामले में देखा गया है, मुकदमेबाजी और (इससे भी बदतर) भ्रम के लिए एक उपाय तैयार करेंगे जो अधिनियम द्वारा अभिप्रेत नहीं था। अधिकारिता का स्थान या 'स्थान' निश्चित और स्थिर होना चाहिए और अस्पष्ट या परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए, क्योंकि पक्षों को न्यायिक उपायों का लाभ उठाने के लिए अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए।इसके अलावा, पक्षकारों द्वारा पहली सुनवाई या परस्पर विरोधी निर्णय लेने के लिए अदालतों में जाने का जोखिम होगा, जिन पर कानून विचार नहीं करता है और जिनसे बचा जाना चाहिए।

डी.

ई.

च

27. उक्त याचिका का समर्थन करने के लिए एक द्वितीयक तर्क इस आधार पर कि जिन न्यायालयों में मध्यस्थता की कार्यवाही की जा रही है, उन्हें गहराई से विचार करने पर पर्यवेक्षी शक्तियां दी जानी चाहिए, जब हम सामने आने वाले अस्वीकार्य व्यावहारिक परिणामों को जोड़ते हैं तो इसे कमजोर के रूप में खारिज कर दिया जाना चाहिए।अदालतों द्वारा पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग जहां मध्यस्थता कार्यवाही की जा रही है, एक प्रासंगिक विचार है, लेकिन एक निर्णायक और निर्धारक कारक नहीं है जब स्थान 'सीट' नहीं है।''सीट' न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करती है।ऐसी स्थितियाँ होंगी जहाँ मध्यस्थता का स्थान संदर्भ में होगा।

जी.

एच.



धारा 20 की उप-धारा (3) का क्षेत्राधिकार 'सीट' के स्थान से अलग होगा, और यह समान रूप से संभव है कि बहुमत या अधिकांश सुनवाई किसी ऐसे स्थान पर हुई हो जो 'मध्यस्थता के स्थान' से अलग हो।इसके अलावा, संतुलन पर, हम पाते हैं कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के रूप में निश्चितता के पहलू को इस तर्क पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि उस स्थान पर स्थित पर्यवेक्षी अदालतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित की गई थी या काफी हद तक संचालित की गई थी।

28. इस स्तर पर, हमें अपीलार्थी के इस तर्क पर भी विचार करना चाहिए कि दिल्ली में ठोस कार्यवाही की गई थी और इसलिए, यह 'मध्यस्थता का स्थान' होगा।पंचकुला, हरियाणा में पहली मध्यस्थता से पहले की कार्यवाही दलीलें और दस्तावेज दाखिल करने तक ही सीमित थी।गहराई से विचार करने पर, इस तर्क को ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रम और अनिश्चितता पैदा होगी।वर्तमान मामले में उठाए गए कानूनी प्रश्न का उत्तर निष्पक्ष रूप से दिया जाना चाहिए न कि किसी विशेष मामले के तथ्यों के संदर्भ में व्यक्तिपरक रूप से।अन्यथा, स्पष्टता की कमी होगी और परिणामस्वरूप न्यायालयों के बारे में मिश्रण होगा जो अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगे।ऐसे मामले हो सकते हैं जहां मध्यस्थता की कार्यवाही अलग-अलग स्थानों पर आयोजित की जाती है, लेकिन 'मध्यस्थता का स्थान', जैसा कि पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है या जैसा कि मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया गया है, अलग हो सकता है, और उस स्थान पर-'स्थान', केवल कुछ सुनवाई या प्रारंभिक कार्यवाही आयोजित की गई होगी।इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप अधिकार क्षेत्र 'सीट' को

स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।मध्यस्थ निवास स्थान, कार्य स्थान तय कर सकते हैं, या अलग होने के मामले में, मध्यस्थता की कार्यवाही दो अलग-अलग स्थानों पर आयोजित की जा सकती है, जैसा कि वर्तमान मामले में है।स्पष्टता और निश्चितता के लिए, जो क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रश्न उत्पन्न होने पर आवश्यक है, हम यह मानेंगे कि मध्यस्थता कार्यवाही के लिए निर्धारित स्थान या स्थान, जब धारा 20 की उप-धारा (2) लागू होती है, अधिकारिता 'सीट' होगी और अधिकारिता 'सीट' पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालयों के पास अनन्य अधिकारिता होगी।इस सिद्धांत में अपवाद होगा जो तब लागू होगा जब पारस्परिक सहमति से पक्ष इस बात पर सहमत होंगे कि अधिकार क्षेत्र 'सीट' को बदला जाना चाहिए, और ऐसी सहमति को व्यक्त किया जाना चाहिए और पार्टियों द्वारा स्पष्ट रूप से समझा और सहमति व्यक्त की जानी चाहिए।

ग

डी.

ई.

च

जी.

29. हमने अधिनियम की धारा 42 का हवाला दिया है। बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा (ऊपर) में भी धारा 42 की जांच की गई थी और इसके द्वारा व्यक्त विचार

एंट्रिक्स कॉर्प में दिल्ली उच्च न्यायालय।लिमिटेड वी.देवास मल्टीमीडिया **(**पी**)** लिमिटेड **21**

21 (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 9338 ए

एच.

995

बी. बी. आर. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस. पी. सिंगला

निर्माण निजी लिमिटेड [संजीव खन्ना, जे.] ए.

यह देखते हुए खारिज कर दिया गया कि धारा 42 का उद्देश्य विशेष रूप से एक अदालत के साथ मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में सभी मध्यस्थता कार्यवाही पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र को रखकर अदालतों के अधिकार क्षेत्र के टकराव से बचना है।उपरोक्त अवलोकन हमारे इस तर्क का समर्थन करता है कि एक बार अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के संदर्भ में मध्यस्थता की अधिकारिता 'सीट' तय हो जाने के बाद, मध्यस्थता के लिए पक्षों की स्पष्ट आपसी सहमति के बिना, 'सीट' को बदला नहीं जा सकता है।इसलिए, एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति जो एक अलग स्थान पर मध्यस्थता की कार्यवाही आयोजित करता है, पहले या पहले मध्यस्थ द्वारा पहले से ही निर्धारित क्षेत्राधिकार 'सीट' को नहीं बदलेगा।ऐसी घटना में मध्यस्थता के स्थान को एक ऐसे स्थान के रूप में माना जाना चाहिए जहां मध्यस्थता की कार्यवाही आयोजित की जाती है।

ग

30. अब हम बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ 59 को पुनः प्रस्तुत करेंगे, जो अधिनियम की धारा 42 की जांच करता है और निम्नानुसार पढ़ता हैः

“59. एंट्रिक्स कॉर्प में पाया गया निष्कर्ष भी उतना ही गलत है।लिमिटेड कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 42 को अप्रभावी और बेकार कर दिया जाएगा।धारा 42 का उद्देश्य विशेष रूप से एक अदालत में मध्यस्थता के संबंध में सभी मध्यस्थता कार्यवाही पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र को रखकर अदालतों के अधिकार क्षेत्र में टकराव से बचना है।यही कारण है कि खंड एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होता है, और फिर यह बताता है।

डी.

ई.

इस भाग के तहत किसी भी मध्यस्थता समझौते के लिए आवेदन

अदालत में किया गया है। "यह स्पष्ट है कि इस भाग के तहत अदालत में किया गया आवेदन एक ऐसा न्यायालय होना चाहिए जिसके पास इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र हो।इस न्यायालय के बाद के अभिनिर्णयों में कहा गया है कि जहां किसी समझौते में कोई स्थान निर्दिष्ट किया गया है, केवल सीट के न्यायालयों को ही अधिकारिता होगी, यह आवश्यक होगा कि भाग I के तहत सभी आवेदन केवल उस न्यायालय में किए जाएं जहां सीट स्थित है, और केवल उस न्यायालय को ही मध्यस्थता कार्यवाही और मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी बाद के आवेदनों पर अधिकारिता होगी।इसलिए पढ़ें, धारा 42 अप्रभावी या बेकार नहीं है।इसके अलावा, जहां किसी विशेष मामले के तथ्यों पर यह पाया जाता है कि या तो कोई "सीट" समझौते द्वारा निर्दिष्ट नहीं है, या तथाकथित "सीट" केवल एक सुविधाजनक "स्थान" है, तो कई अदालतें हो सकती हैं जहां कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उत्पन्न होता है जिसकी अधिकारिता हो सकती है।पुनः, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत एक आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के किस भाग में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत एक आवेदन को अदालत के समक्ष पेश किया जा सकता है।

च

जी.

एच.

996

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

कार्रवाई का कारण एक ऐसे मामले में उत्पन्न होता है जहां पक्ष मध्यस्थता के "स्थान" पर सहमत नहीं होते हैं, और इस तरह के "स्थान" का निर्धारण मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 (2) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किसी विशेष मामले के तथ्यों पर किया जा सकता है।इन दोनों स्थितियों में, एक अदालत में सबसे पहला आवेदन किया गया है जिसमें कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उत्पन्न होता है, तब धारा 42 के तहत विशेष अदालत होगी, जिसका मध्यस्थता कार्यवाही पर नियंत्रण होगा।इन सभी कारणों से, इस संबंध में बॉम्बे और दिल्ली उच्च न्यायालयों द्वारा कहा गया कानून गलत है और खारिज कर दिया गया है।"

31. हम पहले ही उपरोक्त पैराग्राफ के पहले कुछ वाक्यों का उल्लेख कर चुके हैं और वर्तमान मामले के संदर्भ में तर्क की व्याख्या कर चुके हैं।अनुच्छेद बी. जी. एस. एस. एस. सोमा (उपर्युक्त) में धारा 42 में शामिल गैर-अस्थाई प्रभाव की भी व्याख्या की गई है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह स्पष्ट है कि भाग-I के तहत किया गया आवेदन किसी ऐसे न्यायालय के लिए होना चाहिए जिसके पास इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र हो।जहां समझौते में 'सीट' निर्दिष्ट की गई है, केवल 'सीट' की अदालतों के पास अधिकार क्षेत्र होगा।इस प्रकार, भाग-I के तहत सभी आवेदन उस न्यायालय में किए जाएंगे जहां 'सीट' स्थित है क्योंकि मध्यस्थता कार्यवाही और मध्यस्थता कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी बाद की कार्यवाही पर अकेले उस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा।उद्धरण यह भी स्पष्ट करता है कि जब या तो किसी समझौते द्वारा कोई 'सीट' निर्दिष्ट नहीं की जाती है, या तथाकथित 'सीट' केवल एक सुविधाजनक स्थान है, तो कई अदालतें हो सकती हैं जहां कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उत्पन्न होता है जिसका अधिकार क्षेत्र हो सकता है।अधिनियम की धारा 9 के तहत अदालत के समक्ष एक

आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें उस मामले में कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उत्पन्न होता है जहां पक्ष 'मध्यस्थता के स्थान' पर सहमत नहीं थे।यह 'सीट' तय करने वाले समझौते के अभाव में संभव है, क्योंकि अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा 'सीट' निर्धारित करने से पहले धारा 9 के तहत एक आवेदन दायर किया जा सकता है। नतीजतन, ऐसी स्थितियों में, वह न्यायालय जहां सबसे पहले आवेदन किया गया है, वह न्यायालय होने के नाते जिसमें कार्रवाई का एक हिस्सा या पूरा कारण उत्पन्न होता है, तब अधिनियम की धारा 42 के तहत अनन्य न्यायालय होगा। तदनुसार, ऐसे न्यायालय का मध्यस्थता कार्यवाही पर नियंत्रण होगा।22

ग

डी.

ई.

च

जी.

22 हम इस सवाल की जांच नहीं कर रहे हैं और न ही यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या वर्तमान मामले में 'अदालत' और 'मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित' अभिव्यक्ति के बीच कोई अंतर है।

एच.

997

बी. बी. आर. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस. पी. सिंगला

निर्माण निजी लिमिटेड [संजीव खन्ना, जे.]

क.

32. धारा 42 का कोई लाभ नहीं है क्योंकि यह अपीलार्थी द्वारा प्रस्तावित मामले में मदद नहीं करता है, क्योंकि वर्तमान मामले में मध्यस्थ ने अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत क्षेत्राधिकार 'सीट' तय की थी, इससे पहले कि कोई भी पक्ष अधिनियम के तहत अदालत का रुख करे, एक अदालत होने के नाते जहां कार्रवाई का एक हिस्सा या पूरा कारण उत्पन्न हुआ था।अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 34 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, जब मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 5 अगस्त 2014 के आदेश के अनुसार हरियाणा के पंचकुला में अधिकार क्षेत्र 'सीट' तय की थी।नतीजतन, अपीलकर्ता, सबसे तेज उंगली पहले सिद्धांत के आधार पर, यह दावा नहीं कर सकता है कि अधिनियम की धारा 42 को देखते हुए दिल्ली की अदालतों को विशेष अधिकार क्षेत्र मिलता है। इसका कारण सरल है कि धारा 34 के तहत आवेदन दायर किए जाने से पहले, मध्यस्थता का अधिकार क्षेत्र निर्धारित किया गया था और धारा 20 की उप-धारा (2) के तहत तय किया गया था और इस प्रकार, हरियाणा में पंचकूला पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालयों के पास विशेष अधिकार क्षेत्र है।दिल्ली की अदालतों को अधिकार क्षेत्र नहीं मिलेगा क्योंकि 'मध्यस्थता का केंद्र' पंचकुला है न कि दिल्ली।

ग

33. उपरोक्त चर्चा और कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, और उन्हें लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना खारिज कर दिया जाता है।

डी.

बिभूति भूषण बोस और अमरेंद्र कुमार

निष्कासन खारिज कर दिए गए।

(सहायकः अजय, एलसीआरए)

ई.

च

जी.

एच.